रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 2004/पौष 15, 1925

No. 3] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 2004/PAUSA 15, 1925

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2004

फा. सं. 53-3/2003 राअशिप (मानदण्ड और मानक).— क्योंकि देश, विश्व शिक्षा फोरम द्वारा डकार कार्ययोजना के अधीन 'सभी के लिए शिंक्षा' के लिए प्रतिबद्ध है इसलिए भारत सरकार ने 2007 तक प्राथमिक शिक्षा और 2010 तक प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की पूर्ति करने के प्रयोजन से सर्वशिक्षा अभियान की शुरूआत की है । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए 10वीं योजना अविध के दौरान प्रारम्भिक स्तर पर बड़ी संख्या में अतिरिक्त अध्यापकों की जरूरत होगी । इस प्रयोजन के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की उभरती मांगों की पूर्ति करने के लिए प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए संस्थान स्थापित करने और प्रारम्भिक शैशवावस्था देखभाल और शिक्षा/स्कूल-पूर्व अध्यापक शिक्षा/नर्सरी अध्यापक शिक्षा के निमित्त अध्यापक तैयार करने से सम्बन्धित नीतियों का उदारीकरण किए जाने की जरूरत है । इन स्तरों पर उपयुक्त संख्या में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना को सुकर बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा प्रशिक्षण द्वारा मान्यता प्राप्त बी.एड. पाठ्यक्रम पहले से ही चलाने वाले संस्थानों तथा स्कूल-पूर्व अध्यापक शिक्षा/नर्सरी अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के इच्छुक अन्य संस्थानों के मामले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने तीन वर्ष की अवधि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार से 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' (एनओसी) प्रस्तुत किए जाने की शर्त समाप्त करने का निर्णय लिया है ।

अतः अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नियमावली, 1997 के नियम 7(4) के साथ पठित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 के खण्ड 32 के उपखण्ड (2) की धारा

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

27

633

(च) और (छ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्द्वारा निम्न विनियम बनाती है :

1. लघुशीर्ष और प्रवर्तन

(i) ये विनियम 'राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदण्डों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2004' कहलाएंगे ।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. संशोधन की सीमा

(i) दिनांक 6 जून, 2003 के विनियम द्वारा यथासंशोधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदण्डों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति) विनियम 2002 में पैरा 6 के बाद उपधारा (ix) के बाद निम्न उप-धारा जोड़ी जाएगी :

(x) प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के निमित्त मान्यता के लिए आवेदन करने वाले ऐसे संस्थानों जो बी.एड. पाठ्यक्रम चलाने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा पहले से ही मान्यताप्राप्त हैं **अथवा** दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के लिए अनुमति मांगने वाले किसी मौजूदा प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा संस्थान के मामले में अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्त सरकारी राजपत्र में इन विनियमों के अधिसूचित किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू नहीं होगी ।

(XI) स्कूल-पूर्व अध्यापक शिक्षा/नर्सरी अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के निमित्त मान्यता के लिए आवेदन करने वाले संस्थानों अथवा ऐसे किसी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के लिए अनुमति मांगने वाले किसी मौजूदा संस्थान के मामले में अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्त सरकारी राजपत्र में इन विनियमों के अधिसूचित किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू नहीं होगी ।

Attested
25/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

634

(ii) अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्त के सम्बन्ध में उपर्युक्त (i) में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार दिनांक 13 नवम्बर, 2002 के राअशिप (मान्यता के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदण्डों और मानकों का निर्धारण तथा नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 के पैरा 7 में निर्धारित आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तारीख केवल शैक्षणिक सत्र 2004-2005 के लिए 31 जनवरी 2004 होगी ।

3. दिनांक 6 जून 2003 की उपर्युक्त अधिसूचना के अन्य सभी प्रावधान पूर्ववत रहेंगे ।

वी. सी. तिवारी, सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/IV/131/2003/असा.]

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2004

F. No. 53-3/2003-NCTE (N&S).— As the country is committed to Education for All under the Dakar framework of action by the World Education Forum, the Government of India has launched the Sarva Shiksha Abhiyan to attain universalisation of primary education by 2007 and universalisation of elementary education by 2010. To attain this objective, there is a requirement of huge number of additional teachers at elementary level during the 10th plan period. To overcome the shortage of trained teachers, there is a need to liberalise the policies relating to setting up of institutions for Elementary Teacher Education programme and for preparing teachers for Early Childhood Care and Education/ Pre-school Teacher Education/Nursery Teacher Education. In order to facilitate establishment of adequate number of teacher training institutions at these levels, the National Council for Teacher Education has decided to dispense with the requirement of "No Objection Certificate (NOC)" from State/UT Government for a period of three years for those institutions already running B.Ed. programmes recognized by NCTE and to such other institutions keen to start a course or training in Pre-school Teacher Education / Nursery Teacher Education.

Attested 25/4/11
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54
635

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under clauses (f) and (g) of sub-section (2) of Section 32 of the NCTE Act, 1993 read with Rule 7(4) of NCTE Rules, 1997, the National Council for Teacher Education (NCTE) hereby makes the following Regulations.

1. **Short Title and Commencement**

(i) These Regulations may be called the "NCTE (Form of application for recognition, the time limit of submission of application, determination of norms and standards for recognition of teacher education programmes and permission to start new course or training) (3rd Amendment) Regulations, 2004".

(ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Extent of Amendment**

(i) In the NCTE (Form of application for recognition, the time limit of submission of application, determination of norms and standards for recognition of teacher education programmes and permission to start new course or training) Regulations, 2002 dated 13th November, 2002 as amended *by* Regulations dated 6th June, 2003, after Sub-clause (ix) of Para 6, the following sub-clauses shall be added:

(x) The requirement of NOC shall not apply to institutions already recognized by NCTE for running a B.Ed. course and seeking recognition to start a course or training in Elementary Teacher Education **or** from an existing elementary teacher education institution seeking permission to increase in intake in such a course for a period of three years from the date of notification of these regulations in the Official Gazette.

(xi) The requirement of NOC shall not apply to institutions seeking recognition to start a course or training in Pre-School Teacher

Attested
25/4/21
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

636

Education/ Nursery Teacher Education **or** from an existing institution seeking permission to increase in intake in such a course, for a period of three years from the date of notification of these regulations in the Official Gazette.

(ii) In accordance with the revised provisions relating to requirement of NOC prescribed at (i) above, the last date for submission of application prescribed in para 7 of NCTE (Form of application for recognition, the time limit of submission of application, determination of norms and standards for recognition of teacher education programmes and permission to start new course or training) Regulations, 2002 dated 13th November, 2002 shall be the 31st January, 2004 only for the academic session 2004-2005.

3. All other provisions in the aforesaid notification dated the 6th June, 2003 shall remain unchanged.

V. C. TEWARI, Member-Secy.

[ADVT III/IV/131/2003/Exty.]

Attested
25/4/11

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली–54

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.